

प्ररूप-ख  
नियम 3 (1) देखिये  
निरीक्षण प्रतिवेदन

प्रति,

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)  
अनुविभाग घण्डरिया जिला कबीरधाम छत्तीसगढ़

विषय :- वृक्ष कटाई के संबंध में निरीक्षण प्रतिवेदन ।

संदर्भ :- आपके न्यायालय का ज्ञापन क्रमांक 533 दिनांक 25.3.2026

संदर्भित आदेश के अनुपालन में, संयुक्त स्थल निरीक्षण (दिनांक) 20.4.26 का किया गया।  
स्थल निरीक्षण के दौरान साक्षी के रूप में निम्नलिखित उपस्थित रहे-

- (क) आवेदक एवं उसके नातेदार शेखर का इमराम नान्दवनी
- (ख) सरपंच/पंच पती कुमारी जां नवीर अली
- (ग) पटवारी/कोटवार कमल दास का नवलदास भातिकपुरी
- (घ) स्वतंत्र स्थानीय साक्षी राजकुमार का सुबुहन घांसल लखन

वृक्षों के पंजी एवं राजस्व अभिलेख (डी-1/खसरा) के अनुसार भूमि में स्थित वृक्षों का विवरण निम्नानुसार है -

- (क) प्राकृतिक रूप से उगे वृक्षों की प्रजाति और संख्या 00
- (ख) रापित वृक्षों की प्रजाति और संख्या 95
- (ग) इस खाते पर प्राकृतिक रूप से उगे वृक्षों को काटने की पूर्व अनुज्ञा दिनांक - को दी गई थी

स्थल निरीक्षण से दर्शित होता है कि-

- (क) शुष्क वृक्षों की प्रजाति और संख्या 00
- (ख) परिपक्व वृक्षों की प्रजाति संख्या सागोन 40
- (ग) कृषि/व्यवसाय के हित में कटाई हेतु वृक्षों की प्रजाति और संख्या 00
- (घ) वृक्ष कटाई के नियम, 2022 के नियम 2 की प्रयोज्य खण्ड, यदि कोई हों, -
- (ड.) अन्य विवरण -

Banda  
राजस्व निरीक्षक  
स.नि.म. 2014/26  
हस्ताक्षर तहसील - कुण्डा  
जिला-कबीरधाम (छ.ग.)

Alkesh  
सर्किल फोरस्ट ऑफिसर  
पदनाम  
हस्ताक्षर